# न्यायालय सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी, औसियां

पीठासीन अधिकारी – **श्री राजकेश मीणा, आर.ए.एस.**

प्रार्थना पत्र संख्या– 115/2014

**प्रार्थीगणः–**

1 गोपालसिंह पुत्र श्री अनोपसिंह
जाति राजपूत निवासी पल्ली तहसील ओसियां जिला जोधपुर

**बनाम**

**अप्रार्थीगणः–**

1 बुधाराम पुत्र श्री गोपाराम
2 कानाराम पुत्र श्री भैराराम
3 भागुराम पुत्र श्री भैराराम
4 भरमलराम पुत्र श्री भैराराम
5 राजुराम पुत्र श्री भैराराम
6 शेराराम पुत्र श्री भैराराम
7 छीनाराम पुत्र श्री भीखाराम
8 लालाराम पुत्र श्री भीखाराम
9 नारायणराम पुत्र श्री भीखाराम
10 तेजाराम पुत्र श्री भीखाराम
11 रामुराम पुत्र श्री भीखाराम
12 भागीरथ पुत्र श्री पूनाराम
13 सहीराम पुत्र श्री पूनाराम
14 मोहनी बेवा श्री पूनाराम
जाति सभी विश्नोई निवासी उम्मेदनगर तहसील तिंवरी जिला जोधपुर

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर.टी.एक्ट.**

दिनांकः– 17/10/22

**निर्णयः–**

तहसील तिंवरी के ग्राम उम्मेदनगर की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 404 रकबा 57 बीघा 13 बीस्वा भूमि प्रार्थी के नाम से संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा आई हुई है। जिसमें प्रार्थी का 2/3 हिस्सा है। चालु जमाबन्दी की नकल साथ में पेश है तथा नजरी नक्शा साथ में पेश है जो प्रार्थना पत्र का भाग व अंग समझा जावे। उपरोक्त वर्णित खसरा की भूमि के पश्चिमी–दक्षिणी तरफ खसरा नम्बर 395/1 रकबा 15 बीघा 15 बीस्वा व खसरा नम्बर 395/2 रकबा 15 बीघा 15 बीस्वा भूमि अप्रार्थीगण संख्या 1 से 6 की संयुक्त खातेदारी भूमि आई हुई है तथा उक्त भूमि के पश्चिम–दक्षिण में खसरा नम्बर 393 रकबा 8 बीघा 9 बीस्वा, भूमि अप्रार्थीगण संख्या 7 से 14 के नाम की खातेदारी की व कब्जा काश्त सुदा आई हुई है। उक्त भूमि से आगे दक्षिण में सडक आई हुई है। अप्रार्थीगण के खातेदारी की चालु जमाबन्दी की नकल साथ में पेश है। प्रार्थी की उपरोक्त वर्णित खातेदारी की भूमि में आने जाने हेतु सडक से अप्रार्थीगण की भूमि में से एक कदीमी रास्ता चलता है जिसे नजरी नक्शे में मार्क ए से बी दर्शाया गया है। इसके अलावा प्रार्थी की भूमि में आने जाने के लिए दुसरा कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। अप्रार्थीगण ने हाल ही में उक्त रास्ते को अवरूद्व व बन्द करने पर अमादा है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को उक्त रास्ता राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा किन्तु उक्त रास्ते का मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं हुआ इसलिए प्रार्थी न्यायालय हाजा में उक्त रास्ता तय करने एवं राजस्व रेकर्ड में रास्ता दर्ज करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश कर रहा है। प्रार्थी को उक्त रास्ता सडक से अप्रार्थीगण की भूमि के अन्दर बीस फुट चौडा प्रार्थी की भूमि तक तय किया जाकर राजस्व रेकर्ड में रास्ता दर्ज किया जावे। प्रार्थी विधि अनुसार एवं डी.एल.सी. की असिचिंत भूमि

की दर के अनुसार रास्ते की भूमि का प्रतिकर न्यायालय द्वारा निर्धारित करने पर अदा करनें के लिए तैयार है। अप्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि अविवादित है। प्रार्थी की खातेदारी की भूमि में खाद, बीज व अनाज एवं चारा आदि की झाले व ट्रक आने जाने के लिए बीस फुट चौडे रास्ते की आवश्यकता है जिससे की ट्रक व चारे की झाले आसानी से आ जा सके एवं आवागमन में कोई असुविधा नहीं हो। प्रार्थी को उक्त रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता है एवं नजरी नक्शे में दर्शाया गया रास्ता लघुतम एवं निकटतम रास्ता है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि न्यायहित में प्रार्थी के उपरोक्त वर्णित खातेदारी भूमि में प्रार्थी के आने जाने हेतु रास्ता अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 395/1 व 395/2, 393 में से नजरी नक्शे में दर्शाए गये लाल रंग से मार्क ए से बी तक बीस फुट चौडा रास्ता मंजूर किया जाकर राजस्व रेकर्ड में रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश फरमावे।

पत्रावली माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर से प्राप्त हुई पक्षकारान को सूचना बाबत नोटिस जारी किए गए। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री लखमणसिंह उपस्थित अप्रार्थीगण संख्या 1 से 14 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं इनके विरुद्ध कार्यवाही अमल में लाई गई। भू-अभिलेख निरीक्षक से मौका रिपोर्ट प्राप्त।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई जिसमें पूर्व में प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दोहराया गया। बहस पर मनन किया गया एवं न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा।

**<u>रास्ते की आवश्यकताः-</u>**

भू-अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट एवं राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी को कृषि कार्य हेतु खसरा नंबर 404 में आवागमन करना होता है। अतः नियमित रूप से आवागमन हेतु बेरोकटोक चलने वाले रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है।

**<u>वैकल्पिक रास्ते का अभावः-</u>**

पत्रावली पर प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड एवं भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में किसी वैकल्पिक रास्ते का उल्लेख नहीं है। अप्रार्थीगण द्वारा वैकल्पिक रास्ते की उपलब्धता होने के संबंध में कोई साक्ष्य पेश नहीं किए एवं रिपोर्ट के अनुसार चाहा गया रास्ता आवागमन हेतु इस्तेमाल किया जा रहा है।

**<u>निकटतम/सुगमतम रास्ताः-</u>**

राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि चाहा गया रास्ता ही निकटतम है एवं इसमें किसी प्रकार की बाधा होने का उल्लेख भू-अभिलेख निरीक्षक रिपोर्ट में नहीं किया गया। उपरोक्त विवेचन के आधार पर चाहे गए बिन्दुओं में सार्वजनिक रास्ता दर्ज किया जाना उचित है।

**-:आदेशः-**

भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत नजरिये नक्शा में दर्शाये गये बिन्दू ए से बी के अनुसार ग्राम उम्मेदनगर तहसील तिंवरी के खसरा नम्बर 393, 395/1, 395/2 में 4.6 मीटर चौडा रास्ता घोषित किया जाता है। रास्ते की लंबाई ए से बी तक 253 मीटर रहेगी। तदनुसार कुल प्रभावित रकबा 1163.8 वर्ग मीटर होगा। तहसीलदार तिंवरी को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थीगण से नियमानुसार डी.एल.सी. का तीन गुणा राशि की गणना कर अप्रार्थीगण को भुगतान करवाया जाकर उपरोक्त वर्णित रास्ते को राजस्व रेकर्ड व लटठा ट्रेश में अमल दरामद किया जाए। संबंधित तहसीलदार को तहरीर जारी हो पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

राजकेश मीणा
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

आदेश आज दिनांक 17/10/22 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

राजकेश मीणा
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां